न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : रामअवतार कुमावत

प्रकरण सं० 19/2011

अमरजीत सिंह पुत्र खजानसिंह बावरी 2 STY तहसील घड़साना
वादी

बनाम

1 कपूरसिंह पुत्र खजानसिंह बावरी 2 STY तहसील घड़साना (मृतक)
2 अमरकौर पुत्री खजानसिंह बावरी पत्नि गुरबचन सिंह निवासी
6PTD तहसील रायसिंहनगर
3 महेन्द्रकौर पुत्र खजान सिंह पत्नि धन्नाराम बावरी खेवरावाली
तहसील अनूपगढ़।
4 स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घड़साना।

1/1 गुरदयालकौर पत्नी 1/2 करमजीतसिंह पुत्र 1/3 गुरमुखसिंह पुत्र 1/4 सुखविन्द्रसिंह पुत्र 1/5 तेजबहादुर सिंह	कपूरसिंह बावरी 2STY तहसील घड़साना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7,
नियम 11 सी.पी.सी एवं धारा
151 सी.पी.सी

---x---

—; निर्णय ;—

दिनांक 31-01-2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रकरण 19/2011 अमरजीत सिंह बनाम कपूर सिंह में मृतक कपूर सिंह के वारिसान गुरदयाल कौर आदि ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी का पेश

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

करके निवेदन किया की वाद में वर्णित भूमि में से प्रतिवादी सं० 2, व 3 के हिस्सा की भूमि 1/4, व 1/4 हिस्सा में जरिये दस्तबरदारी कपूर सिंह (प्रतिवादी 1) के पक्ष में हक त्याग किया जा चुका है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज हो चुकी है। कपूर सिंह के पक्ष में की गई दस्तबरदारी के विरुद्ध अमरकौर व महेन्द्र कौर ने माननीय सिविल न्यायालय (क० ख०) अनूपशहर में एक वाद पत्र दस्तबरदारी शून्य घोषित करवाने बाबत पेश किया जिसे सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 28-2-2011 को वाद पत्र खारिज कर दस्तबरदारी को वैध व नियमानुसार होना मानकर निर्णय दिया है। वादी ने उक्त वाद पत्र पूर्व में हुई दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज हुई भूमि 3/4 प्रतिवादी सं० 1 1/4 वादी के स्थान पर 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार घोषित होने का वाद पत्र पेश किया। जो कि राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है उक्त वाद सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/2/2011 के बाद न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में नहीं है। वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया।

वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन किया की वादी ने वादग्रस्त भूमि की घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जो किसी प्रकार से कानूनी प्रावधानो के विपरीत नही है। उक्त वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष वादी के इसी न्यायालय से ही प्राप्त कर सकता है। वादी का वाद पत्र किन आधारो पर विधि विरुद्ध है

लगातार — 3.

ह०
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

वह प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कहीं उनके द्वारा विधि
सहज पूर्व में सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण ओमा
कौर व महेन्द्र कौर का वाद पत्र निरस्त करने के आधार
पर वादी का वाद पत्र विधि विरुद्ध नहीं हो सकता
वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय
द्वारा ही जारी किया जा सकता है प्रार्थीगण का प्रार्थ
आदेश 7, नियम 11 सीपीसी के कानूनी प्रावधानों के
विपरीत होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त योग्य
है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील उभय
पक्षकारो का प्रार्थना पत्र पुनीत हुई पत्रावली का
अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वकील वादी की
ओर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2017(1) पेज 583
रामविलास मीणा बनाम भैरुलाल गढ़ निर्माण सहकारी
समिति आदि, डीएनजे 2017(3) पेज 1035 राजेश्वर
सिंह बनाम स्टेट आफ राज० एवं डीएनजे 2014(2)
पेज 810 विपिन जगदीश बनाम नरेन्द्र कुमार कौर। का
ससम्मान अवलोकन किया प्रस्तुत प्रकरण में
पाया जाता है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना-
पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी ऐसा कोई
कथन नहीं है कि वादी का वाद किसी
कानूनी प्रावधान के विपरीत है ऐसी स्थिति

— लगातार — 4.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

प्रकरण सं० 19/2011
अभयसिंह/कपूरसिंह

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके मूलवाद पत्र जिसका निस्तारण विवाधक कायम करके साक्ष्य लेकर किया जाना है को खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31-01-2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

31/01/20
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.07 17:52:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: